

# इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एयरफील्ड  
अमेठी (भारत)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1)(बी)(1) के अंतर्गत इगुआ से संबंधित सूचना  
मैनुअल 1

## संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। अकादमी का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानक लाइन उन्मुख उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की मदद से छात्रों के उड़ान कौशल को बेहतर बनाना है, जैसे कि वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए सिम्युलेटर, आधुनिक बेड़े के रूप में आदि

इगुआ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अकादमी को शासी परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के पदेन अध्यक्ष के रूप में होती है। शासी परिषद के अन्य सदस्य नीचे दिए गए हैं-

1. श्री राजीव बंसल - पदेन अध्यक्ष सचिव, एमओसीए, भारत सरकार
2. श्री अरुण कुमार - पदेन सदस्य नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार
3. श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन - पदेन सदस्य जेएस एंड एफए, एमओसीए, भारत सरकार
4. श्री अंबर दुबे - पदेन सदस्य संयुक्त सचिव, एमओसीए भारत सरकार
5. एवीएम पवन मोहे, वीएसएम - पदेन सदस्य सहायक वायुसेनाध्यक्ष (एसीएएस) (प्रशिक्षण), वायु सेना मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

6. श. एस.पी. गोयल - प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक, सिविल - पदेन सदस्य उड्डयन उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
7. श्री दिलीप जावलकर, प्रमुख सचिव, विभाग - पदेन सदस्य उड्डयन की उत्तराखंड सरकार
8. श्री कृष्णेंद्र गुप्ता - पदेन सदस्य निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

### संस्था के उद्देश्य-

(ए) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना, स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव के लिए सभी या किसी भी उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।

(बी) विदेशी नागरिकों सहित आम जनता के हित में भारत में वैमानिकी और नागरिक उड्डयन के विज्ञान को बढ़ावा देना।

(सी) वाणिज्यिक पायलटों, उड़ान प्रशिक्षकों और नागरिक उड्डयन में शामिल या रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने और आयोजित करने के लिए जुड़वां इंजन समर्थन / उपकरण रेटिंग पर प्रशिक्षण सहित।

(डी) राज्य सरकार के पायलटों और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने और आयोजित करने के लिए।

(ई) नागरिक उड्डयन और वैमानिकी विज्ञान के प्रचार और विकास के उद्देश्य से सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार आयोजित करना और अध्ययन समूह और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना।

(च) समय-समय पर समाज द्वारा निर्धारित नागरिक उड्डयन और वैमानिकी विज्ञान से संबंधित ऐसे अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और आयोजित करना।

(छ) उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए भारत में अन्य समाजों और संघों या प्लाइंग स्कूलों की सहायता और मार्गदर्शन करना।

(ज) ऐसी अन्य गतिविधियों को करने के लिए जो ऊपर उल्लिखित किसी भी उद्देश्य से संबंधित हैं।

## शासी परिषद के कार्य एवं शक्तियां-

क) परिषद अकादमी सहित सोसायटी की सर्वोच्च कार्यकारी निकाय होगी। परिषद् का यह कार्य होगा कि वह अकादमी के स्थापना, रखरखाव और संचालन सहित संस्था के ज्ञापन में निर्धारित सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करे।

ख) परिषद अकादमी की गतिविधियों के संगठन, सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगी और अकादमी की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो सोसायटी के नियमों और विनियमों में अन्यथा प्रदान नहीं की गई हैं। परिषद के पास सोसायटी के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को रद्द करने या संशोधित करने की समीक्षा करने का भी अधिकार होगा।

ग) अपने कार्यों के निर्वहन में, परिषद नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगी जो केंद्र सरकार द्वारा उसे दिए जा सकते हैं। कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस संबंध में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

घ) परिषद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी:

- i. अकादमी के प्रशासन एवं कार्यकरण से संबंधित नीति संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेना।
- ii. अकादमी के कार्यक्रम को सोसाइटी के उद्देश्यों के दायरे में और उसके बजट के दायरे में विचार करना और अनुमोदित करना।
- iii. प्रशिक्षण कार्यक्रम की पात्रता शर्तों, अवधि, चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम सामग्री पर विचार और अनुमोदन करना।
- iv. अकादमी के कार्यों के संचालन के लिए नियम और विनियम और उपनियम तैयार करना और केंद्र सरकार के अनुमोदन से उन्हें समय-समय पर जोड़ना, संशोधित करना या निरस्त करना।
- v. अकादमी सहित सोसाइटी की निधियों के संचालन पर विचार करना, अनुमोदन करना और अधिकृत करना।
- vi. सोसाइटी के वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक लेखों और बजट अनुमानों पर विचार करें और प्रस्ताव पारित करें और उन्हें केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें।
- vii. केन्द्र सरकार के विचारार्थ सोसाइटी की विकास योजनाएँ तैयार करना।
- viii. अकादमी के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले पर अपने किसी भी व्यवसाय के निपटान के लिए या सलाह देने के लिए समितियां नियुक्त करें।
- ix. संस्थान और पुरस्कार फैलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक।

x. अकादेमी के लिए तकनीकी प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना, बशर्ते कि परिलब्धियों की संरचना से संबंधित प्रस्ताव, अर्थात् वेतनमानों को अपनाना, भत्ते और उनका संशोधन और रुपये के वेतनमान से ऊपर के पदों का सृजन। 1500-2000 (III CPC) को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। परिषद अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत पदों का सृजन करते समय केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययिता निर्देशों द्वारा निर्देशित होगी।

xi. वैमानिकी और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और/या विदेशी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और सहयोग करना, बशर्ते कि विदेशी संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

xii. उपहार, खरीद, विनिमय, पट्टे, किराया, या अन्यथा किसी भी संपत्ति, चल या अचल संपत्ति को प्राप्त करें और भवनों, कार्यों और निर्माणों का निर्माण, सुधार, परिवर्तन, विध्वंस या मरम्मत करने के लिए, जैसा आवश्यक या सुविधाजनक हो सकता है। अकादमी सहित सोसायटी, बशर्ते कि किसी भी अचल संपत्ति की खरीद, अधिग्रहण या निर्माण के लिए 2.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर कोई पूंजीगत व्यय करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

xiii. अकादेमी सहित सोसायटी से संबंधित या उसमें निहित किसी भी संपत्ति के साथ सौदा, ताकि उसके सर्वोत्तम हित के अनुरूप हो, बशर्ते कि किसी भी अचल संपत्ति के निपटान के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

xiv. अकादेमी सहित सोसायटी के साथ बातचीत, प्रवेश और अनुबंध और कार्य करना।

xv. निदेशक को, और उसके माध्यम से या सीधे अकादमी के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के माध्यम से या इसके द्वारा अनुमोदित किसी समिति को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

xvi. केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से अनुदान, उपहार, दान, या अन्य योगदान प्राप्त करें, बशर्ते कि समाज द्वारा कोई भी उपकार स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो अपने राय, समाज के उद्देश्यों के विपरीत शर्तों या दायित्वों को शामिल करती है।

xvii. ऐसे सभी कार्य और चीजें करना जो उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक या अनुकूल हों और मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए।

\* \* \* \* \*